

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
06.10.2020	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णिया</b></p> <p style="text-align: center;"><b>सी०सी०ए० वाद संख्या-08/2020</b></p> <p style="text-align: center;">अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत</p> <p style="text-align: center;"><b>राज्य</b></p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p style="text-align: center;">मो० अनामुल, पिता-मो० अताबुल रहमान, सा०-नीरपुर, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के 5588/सी०आर०, दिनांक 13.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मो० अनामुल, पिता-मो० अताबुल रहमान, सा०-नीरपुर, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी मो० अनामुल, पिता-मो० अताबुल रहमान, सा०-नीरपुर, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया एक मुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। इससे आगामी विधान सभा चुनाव 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।</p> <p style="text-align: center;">इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. धमदाहा थाना कांड संख्या-175/2016 दिनांक-30.09.2016, धारा-147, 148, 149, 341, 323, 307, 379, 504 भा०द०वि०</li> <li>2. धमदाहा थाना कांड संख्या-185/2016 दिनांक-08.10.2016, धारा-323, 341, 376, 511, 448, 337, 504, 34 भा०द०वि०</li> <li>3. धमदाहा थाना कांड संख्या-332/2018 दिनांक-16.11.2018, धारा-147, 149, 341, 342, 323, 302 भा०द०वि०</li> </ol>	

4. धमदाहा थाना कांड संख्या-73/2019 दिनांक-19.03.2019, धारा-341, 347, 377, 120बी0, 34 भा0द0वि0 एवं 08 पोक्सो एक्ट

इस वाद में विपक्षी द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इन्कार किया गया। थानाध्यक्ष, धमदाहा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विपक्षी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य नोटिस लेने से इन्कार किया। नोटिस की एक प्रति विपक्षी के घर के पोल पर चिपका कर अन्य दो ग्रामीण के गवाह का हस्ताक्षर कराकर नोटिस वापस किया गया। निर्धारित तिथि 25.09.2020 एवं 06.10.2020 को न्यायालय में उपस्थिति भी नहीं दी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" है तथा इनकी गतिविधि संदिग्ध है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर मो0 अनामुल, पिता-मो0 अताबुल रहमान, सा0-नीरपुर, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा 3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने की तिथि से बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की मतगणना तिथि तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थाना-रौटा अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है।

उक्त अपराधकर्मी को आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, धमदाहा द्वारा कराया जाएगा।

थानाध्यक्ष, रौटा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी मो0 अनामुल, पिता-मो0 अताबुल रहमान, सा0-नीरपुर, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 अंतर्गत अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु विपक्षी मतदान की तिथि से कम से कम

एक दिन पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्र पर आने-जाने का रूट चार्ट थानाध्यक्ष, धमदाहा को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को निर्धारित मतदान केन्द्र पर अपने मत का प्रयोग कर उसी रूट चार्ट के अनुसार पुनः वापस आएंगे। इस अवधि में थानाध्यक्ष, धमदाहा अपराधकर्मी पर निगरानी रखेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा / बायसी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।


  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।

आपक 2565 / विधि, पूर्णिया, दिनांक 08-10-20

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, धमदाहा / रौय को  
सूचार्थ एवं अनुपालार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा / बायसी /  
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया / जिला  
सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को  
सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को  
साथ सूचार्थ प्रेषित।

  
वसुधाय उपसमाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
पूर्णिया  
8-10-20